न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 611/02/दावा

1. गोपी
2. रामदेव
3. तुलछाराम

पुत्रगण स्व. जैसाराम जाति जाट निवासीगण रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

बनाम

1. पोखर पुत्र डालू (मृत)
   1/1 श्योकोरी बेवा पोखर (मृत) (हजफ)
2. फूलाराम पुत्र स्व. मोहन
3. छोटूड़ी बेवा मोहन
   समस्त जाति जाट निवासीगण रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादीगण की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम प्रतिवादी सं. 2, 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक– 22.09.2013

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही कुटुम्ब के व्यक्ति हैं। वंशावली निम्नलिखित है:–

हरीराम
↓
डालू — सूरदास (अविवाहित नाऔलाद फौत) — जैसा

डालू ↓ : नारायण (अविवाहित नाऔलाद फौत) — मोहन — पोखर (91)

मोहन ↓ : फुलाराम (प्र.स. 2) — मु. छोटी (प्र.सं. 3)

जैसा ↓ : रामदेव (वादी सं.2) — तुलछा (वादीसं.2) — गोपी (वादीसं.1)

विवादित भूमियां खसरा नं. 71 रकबा 0.66 है0, 72 रकबा 0.13 है0, 74 रकबा 0.61 है0, 75 रकबा 0.51 है0, 76 रकबा 0.24 है0, 77 रकबा 0.61 है0, 78 रकबा 0.37 है0, 79 रकबा 0.34 है0, 80 रकबा 0.34 है0, 91 रकबा 0.61 (0.66 है.) है0, 92 रकबा 0.16 है0, 93 रकबा 0.35 है0, 94 रकबा 0.41 है0, 95 रकबा 0.23 है0, 96 रकबा 0.20 है0, 97 रकबा 0.05 है0, 98 रकबा 0.26 है0, 99 रकबा 0.54 है0, 100 रकबा 0.25 है0, 101 रकबा 0.32 है0, 102 रकबा 0.10 है0 103 रकबा 0.22 है0, 108 रकबा 0.10 है0, 109 रकबा 0.15 है0, 110 रकबा 0.15 है0, 111 रकबा 0.07 है0, 112 रकबा 0.06 है0, ख.नं. 113 रकबा 0.06 है. 114 रकबा 0.14 है0,

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

115 रकबा 0.01 है0, 116 रकबा 0.26 है0, 117 रकबा 0.21 है0, 118 रकबा 0.10 है0, 119 रकबा 0.10 है0 120 रकबा 0.05 है0, 121 रकबा 0.07 है0, 122 रकबा 0.25 है0, 123 रकबा 0.22 है0 किता 38 कुल रकबा 9.06 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की 1/8 संयुक्त खाता कब्जा काश्त है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदार काश्तकारों का है जिनका कोई विवादित नहीं है और इनके खिलाफ कोई अनुतोष भी नहीं मांगा गया है। इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाये गये है। उपरोक्त भूमियों में 1/8 हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का पैतृक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की उपरोक्त पैतृक भूमियों के अलावा अन्य पैतृक भूमियां खसरा नं. 57,58, 135 से 148 किता 16 कुल रकबा 7.07 है0 ग्राम रूपपुरा में से 1/4 हक हिस्सा एवं खाता कब्जा काश्त रहा हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पूर्वज स्व. हरिराम के स्वर्गवास के समय वादीगण के पिता स्व. जैसा नाबालिग बच्चा था और प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता स्व. डालू बड़ा भाई होने के कारण संयुक्त परिवार का कर्ता खानदान के कारण वह कर्ताखान की हैसियत से राजकीय कार्य व दायित्वों तथा सामाजिक कार्यो में पक्षकारों के संयुक्त परिवार की ओर से भाग लेते रहे है। वाद पत्र की धारा 2 व 4 में वर्णित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पूर्वज संयुक्त रूप से काश्त करते रहे थे। संयुक्त परिवार के रूप में ही शामिल में खाते कमाते रहे थे। संयुक्त परिवार का कर्ता खान होने के कारण भूल और सहवन से वाद की धारा 4 में वर्णित भूमियों के 1/4 भाग का खाता प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. डालू का तथा बाद में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम गलत रूप से अंकित हो गया है जबकि उक्त 1/4 भाग के वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का बराबर कब्जा काश्त एवं हक अधिकार रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 आज से करीब 20 वर्ष पूर्व पूर्वजों के जमाने से वाद पत्र की धारा 2 व 4 में वर्णित भूमियों का आपसी सहमति एवं स्वीकृति से मौके पर बंटवारा कर अलग अलग काश्त करते रहे है जिनके अनुसार वादीगण वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि के 1/8 तथा प्रतिवादी सं. 1 से 3 वाद पत्र की धारा 1/4 भाग की भूमियों उपरोक्त बंटवारा में प्राप्त भूमि और उक्त बंटवारा के अनुसार ही विगत 20 साल से वादीगण और प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 काबिज काश्तकार चले आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राजात के कारण विगत 5–7 दिनों से प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के मन में बेईमान आ गयी है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियां खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और वादग्रस्त भूमियों पर से वादीगण को बेदखल करने की कुचेष्टाओं में संलग्न है। वादीगण ने दिनांक 08.08.99 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 को उपरोक्त बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु कहा तो वे इंकार हो गये और वादी को वादग्रस्त भूमियों पर से बेदखल करने की धमकिया दी। ऐसी स्थिति में वादीगण के वैध अधिकारों पर भारी आघात होने की संभावनाएं उत्पन्न हो गयी है इसलिए प्रस्तुत वाद नियोजन करना आवश्क हुआ है। प्रतिवादी सं. 4 को भूधारक के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ की है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 निर्णीत व डिक्री किया जाकर वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमियों खसरा नं. 71 रकबा 0.66 है0, 72 रकबा 0.13 है0, 74 रकबा 0.61 है0, 75 रकबा 0.51 है0, 76 रकबा 0.24 है0, 77 रकबा 0.61 है0, 78 रकबा 0.37 है0, 79 रकबा 0.34 है0, 80 रकबा 0.34 है0, 91

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

रकबा 0.61 है0, 92 रकबा 0.16 है0, 93 रकबा 0.35 है0, 94 रकबा 0.41 है0, 95 रकबा 0.23 है0, 96 रकबा 0.20 है0, 97 रकबा 0.05 है0, 98 रकबा 0.26 है0, 99 रकबा 0.54 है0, 100 रकबा 0.25 है0, 101 रकबा 0.32 है0, 102 रकबा 0.10 है0 103 रकबा 0.22 है0, 108 रकबा 0.10 है0, 109 रकबा 0.15 है0, 110 रकबा 0.15 है0, 111 रकबा 0.07 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.14 है0, 115 रकबा 0.01 है0, 116 रकबा 0.26 है0, 117 रकबा 0.21 है0, 118 रकबा 0.10 हे0, 119 रकबा 0.10 है0 120 रकबा 0.05 है0, 121 रकबा 0.07 है0, 122 रकबा 0.25 है0, 123 रकबा 0.22 है0 किता 38 कुल रकबा 9.06 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के 1/8 भाग का वादीगण को संयुक्त काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें और उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व इनके पूर्वजों का नाम हजफ किया जावें और तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधन व अमल दरामद किया जावें प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मय परिजन आदि को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि खसरा नं. 71 से 74, 75 से 80, 91 से 123 किता 38 कुल रकबा 9.06 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त व अधिकार में किसी भी रूप में हस्तक्षेप करने से बाज रहे । वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी पेश की गई।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 दावा दायरी के दौरान फौत होने पर उनके कायम मुकाम 1/1 श्योकोरी को बनाया गया एवं प्रतिवादी सं. 1/1 श्योकोरी भी वाद पेंडिग के दौरान फौत होने पर इनके वारिस प्रतिवादी सं. 2 रिकार्ड पर होने से नाम हजफ किये जाने का निवेदन किये जाने पर नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसके आधार पर तनकीयात कायमी की गई। तत्पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के द्वारा दिनांक 11.10.2000 को राजीनामा पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया है जिसके अनुसार विवादित भूमियां खसरा नं0 71 रकबा 0.66 है0, 72 रकबा 0.13 है0, 74 रकबा 0.61 है0, 75 रकबा 0.51 है0, 76 रकबा 0.24 है0, 77 रकबा 0.61 है0, 78 रकबा 0.37 है0, 79 रकबा 0.34 है0, 80 रकबा 0.34 है0, 91 रकबा 0.61 है0, 92 रकबा 0.16 है0, 93 रकबा 0.35 है0, 94 रकबा 0.41 है0, 95 रकबा 0.23 है0, 96 रकबा 0.20 है0, 97 रकबा 0.05 है0, 98 रकबा 0.26 है0, 99 रकबा 0.54 है0, 100 रकबा 0.25 है0, 101 रकबा 0.32 है0, 102 रकबा 0.10 है0 103 रकबा 0.22 है0, 108 रकबा 0.10 है0, 109 रकबा 0.15 है0, 110 रकबा 0.15 है0, 111 रकबा 0.07 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.14 है0, 115 रकबा 0.01 है0, 116 रकबा 0.26 है0, 117 रकबा 0.21 है0, 118 रकबा 0.10 है0, 119 रकबा 0.10 है0 120 रकबा 0.05 है0, 121 रकबा 0.07 है0, 122 रकबा 0.25 है0, 123 रकबा 0.22 है0 किता 38 कुल रकबा 9.06 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का 1/8 संयुक्त खाता कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में अंकित है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदार काश्तकारों का है जिनका कोई विवाद नहीं है और उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं मांगा गया है। उपरोक्त 1/8 हिस्सा वादीगण का है और रहेगा। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का उक्त भूमियों में कोई हिस्सा नहीं है। उनके नाम हजफ किया जाना उचित एवं

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

आवश्यक है और वादीगण को 1/8 भाग का खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किये जाने और तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किये जाने के लिए पक्षकार सहमत है। वाद पत्र की धारा 4 में वर्णित भूमियों के सम्बन्ध में वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहते है। राजीनामा के अनुसार पक्षकार खातेदार उद्घोषित करवाने एवं रिकार्ड दुरूस्ती के लिए सहमत है। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जाना प्रार्थनीय है। वाद के समर्थन में वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथपत्र पीडब्ल्यू–1 गोपी पुत्र जैसाराम ने पेश किया एवं दस्तावेजात एक्जी. करवाये गये एवं पीडब्ल्यू–2 झाबरमल पुत्र रामदेवाराम, पीडब्ल्यू–3 गुल्लाराम पुत्र मंगलाराम पेश किये जिस पर वकील प्रतिवादी ने जिरह की गई एवं प्रतिवादी गण की ओर से वकील प्रतिवादीगण द्वारा डीडब्ल्यू–1 छोटूड़ी बेवा मोहन प्रतिवादी सं. 3 व डीडब्ल्यू–2 फूलाराम पुत्र मोहन प्रतिवादी सं. 2 ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये है जिस पर वकील वादी द्वारा जिरह की गई।

3. हमने पक्षकारान के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने बहस के दौरान मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाये जाने में सहमति व्यक्त की गई।

4. हमने पक्षकारान के योग्य अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र के मद सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा नं0 71 रकबा 0.66 है0, 72 रकबा 0.13 है0, 74 रकबा 0.61 है0, 75 रकबा 0.51 है0, 76 रकबा 0.24 है0, 77 रकबा 0.61 है0, 78 रकबा 0.37 है0, 79 रकबा 0.34 है0, 80 रकबा 0.34 है0, 91 रकबा 0.61 है0, 92 रकबा 0.16 है0, 93 रकबा 0.35 है0, 94 रकबा 0.41 है0, 95 रकबा 0.23 है0, 96 रकबा 0.20 है0, 97 रकबा 0.05 है0, 98 रकबा 0.26 है0, 99 रकबा 0.54 है0, 100 रकबा 0.25 है0, 101 रकबा 0.32 है0, 102 रकबा 0.10 है0 103 रकबा 0.22 है0, 108 रकबा 0.10 है0, 109 रकबा 0.15 है0, 110 रकबा 0.15 है0, 111 रकबा 0.07 है0, 112 रकबा 0.06 है0, 114 रकबा 0.14 है0, 115 रकबा 0.01 है0, 116 रकबा 0.26 है0, 117 रकबा 0.21 है0, 118 रकबा 0.10 है0, 119 रकबा 0.10 है0 120 रकबा 0.05 है0, 121 रकबा 0.07 है0, 122 रकबा 0.25 है0, 123 रकबा 0.22 है0 किता 38 कुल रकबा 9.06 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर मे वादीगण हि. 1/16 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 हि. 1/16 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमियों में मुताबिक राजीनामा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की हि. 1/16 की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम किये जाने में सहमति व्यक्त की गई है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम हजफ किये जाने की सहमति व्यक्त की गई है। ग्राम रूपपुरा प.मं. रेटा में जमाबंदी संवत् 2053–56 खाता सं. 96 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 ता 3 व उनके वारिसान के नाम खसरा नं. 57, 58, 135 ता 148 किता 16 कुल रकबा 7.07 है0 में 1/4 हि. दर्ज है खसरा गिरदावरी संवत् 2012, 2018, 19 में वादीगण के पूर्वज जैसा का पुराने ख.नं. 50 में 1/4 हिस्से पर बकाश्त अंकित है लेकिन जमाबंदी में नाम अंकन नहीं है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की पैतृक भूमियां रही है लेकिन प्रस्तुत दस्तावेजात से यह कहीं जाहिर नहीं होता है कि उक्त पुश्तैनी भूमियां वादीगण अथवा उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में रही हो। यद्यपि प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के नाम भूमियां किये जाने में सहमति व्यक्त की है जिसके लिए लगान लगाया जाना न्यायोचित है। अतः

Scanned by CamScanner

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजियात खसरा नं. 71, 72, 74 ता 80, 91 ता 103, 108 ता 112, 114 ता 123 किता 38 कुल रकबा 9.06 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के 1/8 भाग का वादीगण को संयुक्त काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व इनके पूर्वजों का नाम हजफ किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण विवादित आराजियात का डीएलसी दर पर स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर नियमानुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, दांतारामगढ को तद्नुसार तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 22.09.2013 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 611/02/दावा

1. गोपी
2. रामदेव
3. तुलछाराम
पुत्रगण स्व. जैसाराम जाति जाट निवासीगण रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

बनाम

1. पोखर पुत्र डालू (मृत)
1/1 श्योकोरी बेवा पोखर (मृत) (हजफ)
2. फूलाराम पुत्र स्व. मोहन
3. छोटूड़ी बेवा मोहन
समस्त जाति जाट निवासीगण रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादीगण की ओर से
2. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम प्रतिवादी सं. 2, 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 22.09.2013

(एम.आर. बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर.बागड़िया, आरएएस

गोपी आदि बनाम पोखर आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 611/दावा/102 निर्णय दिनांक 22.09.2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू एम.आर. बागड़िया आरएएस बहाजरी श्री शिवपालसिंह वकील मिनजानिब मुद्दई श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है तथा विवादित आराजियात खसरा नं. 71, 72, 74 ता 80, 91 ता 103, 108 ता 112, 114 123 किता 38 कुल रकबा 9.06 है0 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के 1/8 भाग का वादीगण को संयुक्त काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 व इनके पूर्वजों का नाम हजफ किया जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादीगण विवादित आराजियात का डीएलसी दर पर स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने पर नियमानुसार रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार, दांतारामगढ को तद्नुसार तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 सितम्बर, 2013 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00			
मीजान	8	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner